

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर
मु0न0-86/2017

उनवान -सरकार बनाम सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -25.10.2017

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बसईकारे तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर (मावा बिकेता) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.02.2017 को राजाखेडा रेल्वे कॉसिंग के पास दूध एवं मावा विक्रेताओं की चैकिंग करने के दौरान अप्रार्थी की मोटरसाईकिल नम्बर आर जे-11 एसएस 4551 पर स्थित लकड़ी की डलियां में लगभग 40 किलो ग्राम मावा में मिलावट का शक होने पर उसमें से एक किलो ग्राम मावा वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया। अप्रार्थी ने उक्त मावा आम जनता के विक्रय हेतु बताया गया जिसका अप्रार्थी के पास कोई खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं था। उक्त एक किलो ग्राम मावा नमूना डी-1250 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 10.3.2017 के अनुसार उक्त मिश्रित मावा सबस्टैंडर्ड प्रकृति का पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत कर अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नवृति नहीं करने तथा कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मिश्रित मावा बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बसईकारे तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर (मावा बिकेता) पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 8,000/-रुपये (आठ हजार रू0) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। पत्रावली फ़ैसल शुभार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हरफूल सिंह यादव)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)